रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 1977/श्रावण 20, 1899

No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 1977/SRAVANA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th August 1977

SUBJECT.—*Export of Lametta (alias badla) silver zari and silver zari goods—definitions thereof*

No. 17-ETC(PN)/77.—It is clarified that for the purposes of export, the following will be taken as the definition of lametta, silver zari and silver zari goods:—

(i) **Lametta (alias Badla).**—Lametta (alias Badla) is fine silver wire flattened for winding round silk, artsilk or cotton yarn to make zari.

(ii) **Silver Zari.**—Silver zari is fine flattened silverwire (lametta) wound round silk, artsilk or cotton thread.

(iii) **Silver Zari Goods.**—Silver zari goods are material woven with silver zari (excluding zari woven sarees, yardage and garments) and zari embroidered pieces like purses, evening bags, belts etc.

2. Silver zari and lametta containing more than 50 per cent silver contents are covered under item S No 77(iii), Part B, Schedule I to E(C)O, 1977 and their export is allowed on the acceptance of export price by the customs and export on consignment basis is not permitted. While allowing export, customs will check that the export price declared for these products is adequate to cover basic price of the silver bullion, manufacturing charges and reasonable profit.

3. Customs authorities will take severe action against those exporters who try to export silver bullion in the guise of silver zari or lametta.

K. V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1977

विषय :— **लमेटा (उर्फ बादला) रजत जरी और रजत जरी सामान का निर्यात—इनकी परिभाषा ।**

सं० 17-ईटीसी(पीएन) 77.—यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यात के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को लमेटा, रजत जरी और रजत जरी सामान की परिभाषा के रूप में किया जाएगा —

(i) **लमेटा (उर्फ बादला)** —लमेटा (उर्फ बादला) जरी बनाने के लिए वाइंडिंग राउन्ड सिल्क, कृत्रिम रेशम या सूती धागो के लिए बढिया चपटा रजत तार है ।

(ii) **रजत जरी**—रजत जरी बढ़िया चपटा रंजत तार (लमेटा) वृन्ड राउन्ड सिल्क, कृत्रिम रेशम या सूती धागा है ।

(iii) **रजत जरी सामान.**—रजत जरी सामान ऐसा माल है जो रजत जरी के साथ बुना होता है (जिसमें जरी से बनी हुई साड़ियां, याईंज और पोशाक शामिल नही है) और जरी से कशीदा की हुई वस्तुए जैसे पर्स, संध्या थैले, बेल्ट आदि ।

2 50% से अधिक रजत वस्तु वाले रजत जरी और लमेटा ई (सी) ओ, 1977 के लिए अनुसूची—1 के भाग बी की क्रम सं० 77 (iii) के अन्तर्गत आते है और उनका निर्यात सीमाशुल्क द्वारा स्वीकार की गई निर्यात कीमत के आधार पर स्वीकृत है और प्रेषण के आधार पर निर्यात स्वीकृत नही है । निर्यात की स्वीकृति देते समय सीमा शुल्क प्राधिकारी इस बात की जाच करेगा कि इन उत्पादो के लिए घोषित निर्यात कीमत, रजत बुलियन की मूल कीमत, विनिर्माण भाडे और उचित मुनाफे को पूरा करने के लिए काफी है ।

3. सीमा-शुल्क प्राधिकारी उन निर्यातको के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेग जो रजत जरी या लेमेटा के रूप में रजत बुलियन का निर्यात करने की कोशिश करेगे ।

के० वी० सेशाद्री

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977